भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 169
दिनांक 21 जून, 2019 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी

169. श्रीमती राम्या हरिदासः
श्री बालाशोवरी वल्लभानेनीः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा उनके मानदेय में वृद्धि की लगातार मांग की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और 'आशा' को दिए जा रहे मानदेय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या मंत्रालय ने ऐसे श्रमिकों के वेतन में वृद्धि करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या कुछ राज्य उक्त श्रमिकों को मानदेय के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान कर रहे हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे श्रमिकों को मानदेय के रूप में 10,000 रुपये प्रदान करने में सरकार के समक्ष कौन-कौन सी कठिनाइयां आ रही हैं;
(ङ) आंगनवाड़ियों के द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं; और
(च) कार्य कर रहे एडब्ल्यूसी का ब्यौरा क्या है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों/कर्मचारियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) और (ख) : भारत सरकार ने हाल ही में मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 3000 रूपये से बढ़ाकर 4500 रूपये प्रतिमाह; लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 2250 रूपये से बढ़ाकर 3500 रूपये प्रतिमाह; आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 1500 रूपये से बढ़ाकर 2250 रूपये प्रतिमाह किया है

तथा 1 अक्टूबर, 2018 से आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए 250 रूपये प्रतिमाह का निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन शुरू किया है।

जहां तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) का संबंध है, आशा अवैतनिक स्वयंसेवक के रूप में परिकल्पित हैं तथा वे केवल कार्य/निष्पादन आधारित प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं। आशा 30 से अधिक विशिष्ट कार्यों के लिए निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित किए गए हैं। उनके योगदान तथा बहुमूल्य भूमिका को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर आशा के लिए निर्धारित प्रोत्साहनों की सरकार द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है तथा आशा के लिए नई गतिविधियों को समय-समय पर शामिल किया जाता है जिसके लिए वे प्रोत्साहन प्राप्त करेंगे। आशा द्वारा अर्जित प्रोत्साहनों की रेंज गतिविधि के उनके स्तर के आधार पर आशा दर आशा भिन्न होती है।

एनएचएम के तहत राज्यों को आशा के लिए अपने स्वयं के प्रोत्साहन तैयार करने की लोच प्रदान की गई है। कुछ राज्यों ने राज्य विशिष्ट आवश्यकता के रूप में राज्य विशिष्ट प्रोत्साहन भी शुरू किया है। कुछ राज्यों ने अपने राज्य बजट से आशा के लिए नियत मासिक मानदेय भी शुरू किया है। इनमें सिक्किम (3000 रूपये प्रति माह), केरल (1500रूपये प्रति माह), राजस्थान (1600 रूपये प्रतिमाह), हरियाणा (500 रूपये प्रतिमाह) और पश्चिम बंगाल (1500 रूपये प्रतिमाह) जैसे राज्य शामिल हैं। कर्नाटक और मेघालय 100 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ 50 प्रतिशत और त्रिपुरा 33 प्रतिशत टॉपअप के रूप में आशा द्वारा अर्जित प्रोत्साहन के लिए तुलन राशि प्रदान करते हैं।

(ग) और (घ): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भुगतान किए गए मानदेय का विवरण अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

(ड): आंगनवाड़ियों के प्लेटफार्म से आंगनवाड़ी सेवा, किशोरी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तथा पोषण अभियान की स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं।

(च): क्रियाशील आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं/कर्मचारियों की कुल संख्या का राज्य/संघराज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्रमश: अनुलग्नक-**II** और **III** के रूप में संलग्न है।

*****

अनुलग्नक-।

आंगनवाड़ी के संबंध में श्रीमती राम्या हरिदास और श्री बालाशोवरी वल्लभानेनी द्वारा दिनांक 21.06.2019 को लोकसभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 169 के उत्तर के भाग (क) से (ख) में संदर्भित विवरण :

आशा इंशेनटिश की अद्यतन सूची			
क्र.सं.	गतिविधि	राशि मामला/	निधि का श्रोत और निधियन संबंध
I	मातृत्व स्वास्थ्य		
.1	जेएसवाई फाइनेंशियल पैकेज		
क.	महिलाओं की प्रसवपूर्ण देखभाल सुनिश्चित करना	ग्रामीण क्षेत्रों के 300 तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 200	मातृत्व स्वास्थ्य एनआरएचएमआरसीएच - फ्लैक्सी पूल
ख.	संस्थागत प्रसूति के लिए	ग्रामीण क्षेत्रों के 300 तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 200	
2.	आशा द्वारा पीएचसी चिकित्सा अधिकारी को महिलाओं 49- 15)वर्षकी मृत्यु संबंधी (सूचना देना	मृत्यु के घंटों के 24 भीतर फोन से सूचित रुपए 200 करने पर	एचएससीपीएचसी -यू/ टाइड फंड-अन
II	बाल स्वास्थ्य		
1	नवजात शिशु तथा प्रसव के बाद मृत जच्चा को देखने के लिए घर आने पर - * विजिट 6 संस्थागत प्रसव की स्थिति में तीसरे), सातवें, चौदहवें, इक्कीसवें, अट्ठाइसवें तथा बयालिसवें दिन – (गृह प्रसूति के मामले में 7 विजिट पहले), तीसरे, सातवें, चौदहवें, इक्कीसवें, अट्ठाइसवें और बयालिसवें (	रुपए 250	बाल स्वास्थ्य - आरसीएच – एनएचएम फ्लैक्सी पूल
2	नवजात शिशु के स्वास्थ्य तथा उसके पोषण को सुदृढ़ करने के लिए नवजात शिशु के घर में की जाने वाली होम विजिट की तीसरे – संस्तुत अनुसूची), छठे, नौवें, बारहवें तथा पन्द्रहवें माह है 5) - (विजिट 235 पहले चरण में यह कार्यक्रम – (50 पोषण अभियान और संवेदनशील जिलों में लागू किए जाने का प्रस्ताव है।	5 विजिट और/रुपए 50 250 विजिट के लिए रुपए	
यह इंसेंटिव बच्चे के *जन्म के दिन पूरे होने के बाद ही दिया जाएगा और इसके साथ क्राइटेरिया वर्थ 45 रजिस्ट्रेशन, एमसीपी कार्ड पर वजन का रिकॉर्ड, बीसीजी टीके सहित विसंक्रमण ओपीवी के पहली खुराक तथा डीपीटी सहित सभी एंट्रीज एमसीपी कार्ड में विधिवत होनी चाहिए और जच्चा और बच्चा दोनों को प्रसूति के 42 दिनों तक सुरक्षित रहना चाहिए।			

3	फैशिलिटि अथवा सिवियर एक्यूट कुपोषण केंद्र से डिस्चार्ज बच्चे के बारे में फॉलोअप विजिट	रुपए केवल तभी 150 125 जब एमएयूसी एमएम से अधिक न हो	
4	विशेष नवजात देखभाल केंद्रों में इलाज के बाद छोड़े गए नवजात शिशुओं तथा जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों के लिए त्रैमासिक फॉलोअप एक्शन सुनिश्चित करना *	– तिमाही/रुपए 50 वर्ष पूरा 1 तीसरे माह से होने तक	
5	वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु होने 5 की सूचना देने पर बाल मृत्यु समीक्षा	रुपए 50	
6	स्कूल न जाने वाले और स्कूल में नाम न लिखाने वाले प्रत्येक योग्य बच्चे 19-1)वर्ष (को स्कूल के लिए प्रोत्साहित करना	आशा /रुपए 100 द्विवार्षिक	
7	पहला सप्ताह 5 -से कम बच्चे वाले परिवारों में ओआरएस के प्रोफिलैटिक वितरण के लिए आशा प्रोत्साहन	100 कम बच्चे वाले से 5 1 परिवारों के लिए ओआरएस पैकेट/रुपया	
8	दूसरा सप्ताह गांव में सभी बच्चों की – बढ़ोत्तरी, कुपोषित बच्चों की जांच तथा उन्हें स्वास्थ्य केंद्रों में भेजने,बच्चों वाले 5 परिवारों को परामर्श के लिए आईवाईसीएफ भेजने के लिए आशाप्रोत्साहन	कम से कम प्रतिशत 80 घरों को पूरा करने वाले 100 आशा कर्मी के लिए कर्मी/रुपए	
9	एमएए कार्यक्रम (माता का समग्र लगाव) बच्चों को स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु माताओं के साथ तिमाही	मीटिंग/आशा/रुपए 100	
III	विसंक्रमण		
1	एक वर्ष से कम आयु के बच्चे को पूरी तरह से विसंक्रमित करना	रुपए 100	रूटिन विसंक्रमण पूल
2	वर्ष की आयु तक प्रति बच्चे को पूरी 2 एक वर्ष के बाद) तरह से विसंक्रमित करना पूर्ण विसंक्रमण पूरा होने पर पहले और दूसरे (वर्ष लगने वाले सभी टीके		

* यह इंसेंटिव आगे चलकर एचबीवाईसी इंसेंटिव के साथ जुड़ जाएगा

		रुपए 75*	
3	पल्स पोलियो कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को ओपीवी विसंक्रमण के लिए जुटाना	दिन/रुपए 100	आईपीपीआई फंड
4	वर्ष की आयु पर डीपीटी बूस्टर 6-5	रुपए 50	
IV	परिवार नियोजन		
1	विवाह के बाद वर्ष एक अंतराल 2 सुनिश्चित करना@	रुपए 500	परिवार नियोजन एनएचएम आरसीएच

2	पहले बच्चे के जन्म के बाद वर्ष तक 3 अंतराल सुनिश्चित करना#	रुपए 500	फ्लैक्सी पूल
3	बच्चों के जन्म के बाद युगल को स्थाई 2 तरीके से परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित करना$	रुपए 1000	
4	महिला नसबंदी के लिए परामर्श, प्रेरणा तथा अनुवर्ती विमर्श करना	उच्च जन्म दर वाले ग्यारह राज्यों उत्तर) प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखण्ड, असम, हरियाणा और गुजरातके (रुपए 200 लिए एमपीवी जिलों में 146 रुपए 300 शेष राज्यों में रुपए 150	
5	नसबंदीएनएसवी के लिए परामर्श/, प्रेरणा तथा अनुवर्ती विमर्श करना	उच्च जन्म दर वाले ग्यारह राज्यों उत्तर) प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखण्ड, असम, हरियाणा और गुजरातके (रुपए 300 लिए एमपीवी जिलों में 146 रुपए 400 शेष राज्यों में रुपए 200	

*50 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए कर दिया गया है

@75 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है

#बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, दमन और दीव

$बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा, गुजरात, हरियाणा, दादरा एवं नागर हवेली

6	महिला प्रसवोत्तर बंध्याकरण	उच्च जन्म दर वाले ग्यारह राज्यों उत्तर) प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखण्ड, असम, हरियाणा और गुजरात (	

		रुपए 300 के लिए एमपीवी जिलों में 146 रुपए 400	
7	गर्भनिरोधकों की सोशल मार्केटिंग आशा – कार्यकर्त्रियों द्वारा इन्हें घरों पर उपलब्ध कराना	कंडोम के एक पैक पर 3 रुपया 1, ओसीपी की एक साइकल के लिए रुपया 1 और ईसीपीज के एक पैक रुपया 2 के लिए	
8	पीपीआईयूसीडी इंसरशन के लिए लाभार्थिनी को स्वास्थ्य केंद्र में लाने ले जाने के लिए	प्रति केस में रुपए 150	
9	पीपीआईयूसीडी इंसरशन के लिए लाभार्थिनी को स्वास्थ्य केंद्र में लाने ले जाने के लिए	प्रति केस में रुपए 150	
मिशन परिवार विकास 7 –राज्यों 57 उत्तर प्रदेश में), बिहार में 37, राजस्थान में 14, झारखण्ड में 9, छत्तीसगढ़ में 2, मध्य प्रदेश में (2 और असम में 25के चुनिंदा जिलों में लागू 146			
10	इंजेक्शन के द्वारा दिए जाने वाले गर्भनिरोधक एमपीए तथा (अंतरा प्रोग्राम) (छाया) गैर हार्मोनल वीकली सेंटक्रोमन पिल –आशा को दिया जाने वाला प्रोत्साहन	प्रति खुराक के लिए 100 रुपए	परिवार नियोजन – एनएचएम – आरसीएच फ्लैक्सी पूल
11	मिशन परिवार विकास अभियान ब्लॉक स्तरीय गतिविधियां आशा कार्यकर्ता इसके – लाभार्थियों के लिए एक सुपात्र युगल सर्वे करेंगी और अपेक्षा की जाती है कि वे यह सुपात्र युगल सर्वे अधिकतर राउंड में 4 करेंगी	/100आशा राउंड/	
12	नई पहल विवाहितों के लिए एफपी -नव – विवाहित जोड़े को आशा -नव – किट कार्यकर्ता द्वारा एक एफपी किट दी जाएगी किट दी 2 शुरूआती फेज में आशा को) (जाएंगी	रुपए प्रति आशा 100 प्रति नई पहल किट वितरण के लिए	
13	सासबहु सम्मेलन के -सास – बहु सम्मेलन- – लिए महिलाओं को इकट्ठा करना राउंड 4 अधिकतम	प्रत्येक मीटिंग रुपए 100	
14	प्रत्येक एमपीवी अभियान से पहले ईसी सर्वे का अद्यतन ध्यान रहे ईसी सर्वे पंजीकरण – इंसेंटिव को अद्यतन करने का पंजीकरण पहले से ही दैनिक और आवर्ती इंसेंटिव का हिस्सा है	तिमाही /आशा/रुपए 150 राउंड के लिए	
V	किशोरी बालिका स्वास्थ्य		
1	किशोरियों के बीच सेनेट्री पैड वितरित करना	सेनेट्री पैड के पैक पर 6 रुपया 1	मासिक धर्म स्वच्छता स्कीम -आरसी – एनएचएम फ्लैक्सी पूल

2	मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता के बारे में किशोरियों के साथ मासिक मीटिंग करना	मीटिंग/रुपए 50	वीएचएसएनसी निधि
3	सहकर्मी शिक्षकों के सहयोग के लिए इंसेंटिव सहकर्मी शिक्षकों की चयन प्रक्रिया की) (सुविधा हेतु	पीई/रुपए 100	आरकेएसके एनएचएम – फ्लैक्सी पूल
4	किशोरी स्वास्थ्य दिवस के लिए किशोरियों को गोलबंद करना	किशोरी /रुपए 200 स्वास्थ्य दिवस	
VI	दैनिक आवर्ती गतिविधियों के लिए इंसेंटिव		
1	शहरी स्वास्थ्य एवं पोषाहार दिवस / अभिगम सत्र अथवा वीएचएनडी में भाग लेने तथा लोगों को जुटाने के लिए	रुपए 2000&	एनएचएम फ्लैक्सी पूल –
2	वीएचएसएनसीएमएएस की मासिक मीटिंग / आयोजित करना तथा निर्देशित करना		
3	ब्लॉक स्तर पर पीएचसी5/यूपीएचसी - मासिक बैठकों में भाग लेना		

&1000 से बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है।

4	कसाल की शुरूआत में इलाके के घरों की (कतारबद्ध सूचीतैयार करना और हर छमाही पर उसे अद्यतन करना ख – ग्रामीण स्वास्थ्य रजिस्टर जैसे (-अपेक्षित मानकों के अनुसार रिकॉर्ड का रख रखाव गविसंक्रमित किए जाने वाले बच्चों की (विधिवत सूची तैयार करना और माहवार उसकी समीक्षा करना घएएनसी लाभ भोगियों की बकाया सूची (तैयार करना और मासिक आधार पर उसे अद्यतन रखना डमासिक आधार पर अद्यतन किए जाने (. वाले सुपात्र युगलों की सूची तैयार करना		
VII	सहभागी शिक्षण और कार्रवाई) –चुनिन्दा उन राज्यों में जहां निम्न आरएमएनसीएच 10+ए संकेतक विद्यमान हैं असम –, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश (		
1	पीएलए मीटिंग का आयोजन 2 –मीटिंग प्रतिमाह – नोटबैठकों के लिए प्रति 10 माह में - रुपए की दर से प्रोत्साहन एएफ 100 मीटिंग को भी दिया जाता है।	माह में बैठकों के लिए 2 प्रति आशा प्रति मीटिंग के लिए रुपए 100	
VIII	संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम @		
	डॉट्स दवाओं के प्रोवाइडर बनने के लिए मानदेय तथा विमर्श चार्जेज		आरएनटीसीपी निधि

1	टीवी रोगियों की पहली श्रेणी के लिए टीवी) (के नए मामले	इलाज के महीनों 7 या 6 में संपर्कों के लिए 42 रुपए 1000	
2	टीवी रोगियों की दूसरी श्रेणी के लिए टीवी) (के पहले से चल रहे मामले	महीनों के लिए 9-8 इलाज अवधि के दौरान 1500 संपर्कों के लिए 57 रुपए जिसमें सघन चरण इंजेक्शन भी 36-24 में शामिल हैं।	
3	दवाओं के आदि तपेदिक रोगी के इलाज और सहयोग के लिए	पूरे और मुकम्मल इलाज के लिए रुपए 5000 2000)रुपए सघन चरण में दिया जाएगा तथा शेष रुपए का भुगतान 3000 समेकन चरण की समाप्ति पर किया (जाएगा	
4	यदि संदेहास्पद व्यक्ति एमओलैब/* द्वारा निदान के लिए रैफर किया जाता है तो अधिसूचना के लिए	रुपए 100	

@शुरूआत में नए तथा पहले से इलाज प्राप्त टीवी मामलों के लिए दवाईयां उपलब्ध कराने हेतु आशा कार्यकर्त्रियों को 250 रुपए का इंसेंटिव दिया जाता था। टीवी के रोगियों को इलाज दिलाने तथा उनके सहयोग के लिए आशा कर्मियों को दिया जाने वाला यह इंसेंटिव इलाज की पूरी तरह समाप्त होने पर ही मिलेगा तथा 2500 से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया है।

IX	राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम #		
1	कुष्ठ रोग के पौकीबैसीलेरी मामलों के - संपूर्ण इलाज सुनिश्चित करने और रेफरल गोवा) राज्यों 33 के लिए, चंडीगढ़ और पुडुचेरी को छोड़कर)	कुष्ठ रोग के मामलों के निदान संबंधी सुविधा के लिए रुपए 250 + इलाज पूरा होने पर अनुवर्ती सहयोग के लिए रुपए 400	एनएलईपी निधि
2	कुष्ठ रोग के पौकीबैसीलेरी मामलों के - संपूर्ण इलाज सुनिश्चित करने और रेफरल 33 के लिएराज्यों गोवा), चंडीगढ़ और पुडुचेरी को छोड़कर)	कुष्ठ रोग के मामलों के निदान संबंधी सुविधा के लिए ....रुपए 250 इलाज पूरा होने पर अनुवर्ती सहयोग के लिए रुपए 600	
X	राष्ट्रीय रतिज रोग नियंत्रण कार्यक्रम$		
क(	मलेरिया%		
1	ब्लड स्लाइड तैयार करना या आरडीटी के द्वारा जांच करना	/15स्लाइड या जांच	मलेरिया नियंत्रण के लिए एनवीबीडीसीपी निधि

2	आरडीटी पोजीटिव पीएफ मामलों के लिए संपूर्ण इलाज उपलब्ध कराना	/75पॉजीटिव केस	
3	पॉजीटिव पीएफ के रेडिकल ट्रीटमेंट के समाप्त होने या ड्रग रिजाइम के अनुसार ब्लड स्लाइड द्वारा अभिचिन्हित पीवी मामले		

*आशा/अर्बन आशा/एडब्ल्यूडब्ल्यू/अप्रशिक्षित प्रैक्टिसनरों आदि को यदि चिकित्सा अधिकारी/ लैब द्वारा टीपी पेशेंट के रूप में डायग्नोज करने पर सभी देखभाल करने वालों को 100 रुपए दिए जाने का प्रावधान है।

#एनएलईपी के अंतर्गत इलाज आदि सुविधा दिलवाने और इलाज की समाप्ति तक अनुवर्ती कामाकाज के लिए पौकी बैसलेरी मामलों में 300 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाता था जिसे अब बढ़ाकर 250 और 400 कर दिया गया है।

$इलाज में सहायता और अनुवर्ती देखभाल में सहयोग के लिए मल्टीबैसीलेरी मामलों के इलाज की समाप्ति पर आशा कर्त्रियों को 500 रुपए का इंसेंटिव दिया जाता था जिसे अब संशोधित करते हुए 250 और 600 कर दिया गया है।

%स्लाइड तैयार करने के लिए इंसेंटिव 5 रुपए था जिसे अब बढ़ाकर 15 रुपए कर दिया गया है। आरडीटी पॉजीटिव पीएफ मामलों में इलाज मुहैया कराने के लिए देय इंसेंटिव 20 रुपए था जिसे संशोधित कर 75 रुपए कर दिया गया है। पॉजीटिव पीएफ मामलों के संपूर्ण रेडिकल इलाज के बाद और ब्लड स्लाइड द्वारा पहचान में आए पीवी केसों के लिए ड्रग रेजीमेन के अनुसार 50 रुपए का इंसेंटिव दिया जाता था। इसी प्रकार मलेरिया का केस रेफर करने और इसका पूरा इलाज सुनिश्चित करने के लिए 200 रुपए का इंसेंटिव दिया जाता था जिसे बढ़ाकर अब 300 रुपए कर दिया गया है।

4	मामले को रेफर करने तथा पूरी जांच सुनिश्चित करने	उनकी) रुपए 300 (अद्यतन सूची में नहीं	
ख (	लिमफैटिक फिलेरियासिस		
1	लिंफोडेमा की वन टाइम लिस्टिंग और हाइड्रोसिल मामलों तथा एंडेमिक तथा नॉन एंडेमिक जिलों के सभी क्षेत्रों में	रुपए 200	लिंफैटिक फिलेरियासिस के नियंत्रण हेतु एनवीबीडीसीपी निधि
2	लिंफैटिक फिलेरियासिस* के मामलों के प्रशासन के लिए एनुअल मास ड्रग के लिए	अधिकतम दिनों के 3 50 /रुपए 200 लिएघरों और व्यक्तियों को 250 कवर करने के लिए	
ग (	एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम जापानी इंसेफ्लाइटिस /		
1	नजदीकी सीएचसी मेडिकल / डीएच / जेई मामलों को रेफर / कॉलेज में एईएस करने के लिए	केस/रुपए 300	एनवीबीडीसीपी निधि
घ (	काला अजार उन्मूलन		
1	इनडोर छिड़काव-$ स्वीकार करने के लिए बस्तियों को राजी करने की दृष्टि से छिड़काव गोलों के लिए आशा कार्यकर्त्रियों को दिए जाने वाला इंसेंटिव	इंडोर घरेलू छिड़काव के लिए प्रति राउंड रुपए 100 राउंड के लिए 2 जोकि रुपए 200	एनवीबीडीसीपी निधि
2	संदेहस्पद मामले को रेफर करने और संपूर्ण इलाज सुनिश्चित करने के लिए आशा इंसेंटिव	प्रति अधिसूचित केस के लिए रुपए 500	एनवीबीडीसीपी निधि

ड (.	डेंगु और चिकुनगुनिया		
1	डेंगु और चिकुनगुनिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए स्रोत को सीमित करने और आईईसी गतिविधियों के लिए उच्चता पीड़ित आन्ध्र प्रदेश) राज्यों 12, असम, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगानाके (लिए इंसेंटिव	1) रुपए 200रुपया प्रति घर की दर से घरों 200 के लिए,महीनों के 5 लिए प्रति माह बीमारी – के फैलने के मौसम के दौरान यहां प्रतिवर्ष/आशा/इंसेंटिव रुपए से अधिक 1000 नहीं होना चाहिए।	एनवीबीडीसीपी निधि
च (	राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम		
1	नमक परीक्षण के लिए आशा इंसेंटिव	नमक सैंपलों की 50 रुपए 25 टेस्टिंग के लिए मासिक	एनआईडीडीसीपी

*यह इंसेंटिव अधिकतम 3 दिनों में 50 घरों या 250 व्यक्तियों को कवन करने के लिए प्रतिदिन 100 से बढ़ाकर 200 कर दिया गया है।

$रतिज रोगों के नियंत्रण को सुनिश्चित करने में आईआरएस के लिए परिवार के लोगों को जोड़ने उन्हें गोलबंद करने के लिए आशा कार्मिकों की भूमिका। वे डीडीटी स्प्रे नहीं वहन करतीं। स्प्रे राउंड के दौरान उनकी भूमिका समाज और समुदाय के लोगों को यह समझाने बुझाने की होती है कि वे घर के भीतर इन स्प्रे के छिड़काव की अनुमति दें ताकि इलाके के शत प्रतिशत घरों को कवर करते हुए काला अजार को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। उन्हें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल के काला अजार प्रभावित जिलों में 2 राउंड के लिए 200 रुपए (प्रति राउंड के लिए 100 रुपए) का इंसेंटिव दिया जाए।

XI	व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तथा यूनिवर्सल एनसीडी स्क्रीनिंग (सीपीएचसी)		
1	आयुषमान भारत के अंतर्गत एनएचपीएम के लिए फॉर्म पूरा करने वाले प्रति परिवार के आंकड़ा वैलीडेशन मैंटीनेंस तथा अतिरिक्त सूचनाओं का संग्रहण -	परिवार/फॉर्म/रुपए 5	एनएचएम फंड
2	प्रत्येक व्यक्ति के सीबीएसी फॉर्म भरना – -लिए वन सभी व्यक्तियों के एन्युमेरेशन के टाइम गतिविधि,से कम आयु 30 या 30 के सभी व्यक्तियों के सीबीएसी फॉर्म भरना	वनटाइम इंसेंटिव के रूप - में प्रति फॉर्म प्रति व्यक्ति रुपए 10	

3	हाईपरटेंशनडायविटीज तथा इलाज की / सामान्य कैंसरों का पता 3 शुरूआत के लिए लगाने और उनका इलाज सुनिश्चित करने के लिए मरीजों के साथ अनुवर्ती संपर्क	प्रति केस / रुपए 50 द्विवार्षिक	एनपीसीडीसीएस फंड
4	सीपीएचसी घटक के अंतर्गत नए सेवा पैकेजों की प्रदायगी	1000 रुपए माह/आशा/ गतिविधियों के साथ) (लिंक्ड	एनएचएम फंड
XI I	पेयजल तथा स्वच्छता		
1	बस्तियों के घरों को शौचालय बनवाने तथा शौचालय के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना	घर/रुपए 75	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
2	व्यक्तियों को नल का कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित करना	घर/रुपए 75	

अनुलग्नक-II

बेटी बचाओ बेटी पढाओ के संबंध में श्री जगदम्बिका पाल द्वारा दिनांक 21.06.2019 को लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 40 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध। 2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान जन्म के समय लिंग अनुपात की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
	अखिल भारतीय	923	926	929	931
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	890	1,003	897	948
2	आंध्र प्रदेश	951	946	958	953
3	अरुणाचल प्रदेश	951	936	956	914
4	असम	922	936	938	936
5	बिहार	928	918	910	915
6	चंडीगढ़	906	921	897	910
7	छत्तीसगढ़	931	946	961	959
8	दादरा और नगर हवेली	951	934	919	938
9	दमन और दीव	906	972	894	889
10	दिल्ली	904	908	917	920
11	गोवा	918	937	942	954
12	गुजरात	907	910	910	918
13	हरियाणा	887	902	914	914
14	हिमाचल प्रदेश	908	916	931	927
15	जम्मू और कश्मीर	942	947	958	943
16	झारखंड	924	918	921	921
17	कर्नाटक	943	948	940	945
18	केरल	953	958	964	959
19	लक्षद्वीप	832	955	885	891
20	मध्य प्रदेश	929	937	929	938
21	महाराष्ट्र	924	922	940	930
22	मणिपुर	936	952	914	924
23	मेघालय	952	949	936	951
24	मिजोरम	955	980	958	958
25	नागालैंड	904	923	921	936
26	ओडिशा	943	940	936	941
27	पुदुचेरी	948	931	939	943
28	पंजाब	891	902	907	900
29	राजस्थान	929	938	945	947
30	सिक्किम	998	954	928	948
31	तमिलनाडु	935	938	947	936
32	तेलंगाना	947	941	925	943
33	त्रिपुरा	930	954	946	941
34	उत्तर प्रदेश	902	906	911	918
35	उत्तराखंड	906	914	922	938
36	पश्चिम बंगाल	937	936	942	944
नोट: अप्रैल-मार्च, *2015-16* से *2018-19* की अवधि के दौरान डाटा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एचएमआईएसके अनुसार आंकड़ों को पूर्णांक कर दिया गया है।					

अनुलग्नक-III

''आंगनवाड़ी'' विषय पर श्रीमती राम्या हरिदास और श्री बालाशोवरी वल्लभानेनी द्वारा दिनांक 21 जून, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्नी संख्या 169 के उत्तर के भाग (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

आंगनवाड़ी सेवा स्कीम के तहत 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए स्टेटस रिपोर्ट (संस्वीकृत, पदस्थापित एवं रिक्त पद)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीडीपीओ की संख्या			पर्यवेक्षकों की संख्या			एडब्ल्यूडब्ल्यू की संख्या			एडब्ल्यूएच की संख्या		
		संस्वीकृत	पद-में	रिक्त	संस्वीकृत	पद-में	रिक्त	संस्वीकृत	पद-में	रिक्त	संस्वीकृत	पद-में	रिक्त
1	आंध्र प्रदेश	257	257	0	1951	1450	501	55607	54101	1506	48768	45650	3118
2	तेलंगाना	149	149	0	1268	1045	223	35700	30781	4919	31711	29400	2311
3	अरुणाचल प्रदेश	98	98	0	249	249	0	6225	6225	0	6225	6225	0
4	असम	231	156	75	2269	2203	66	62153	61038	1115	56728	55949	779
5	बिहार	544	380	164	4316	2237	2079	115009	95395	19614	107894	87168	20726
6	छत्तीसगढ़	220	187	33	1866	1548	318	52474	49968	2506	46660	43590	3070
7	गोवा	11	11	0	50	50	0	1262	1235	27	1262	1239	23
8	गुजरात	336	209	127	2049	1692	357	53029	51595	1434	51229	48710	2519
9	हरियाणा	148	111	37	1018	864	154	25962	25250	712	25450	24725	725
10	हिमाचल प्रदेश	78	53	25	735	662	73	18925	18770	155	18386	18175	211
11	जम्मू और कश्मीर	141	135	6	1278	1256	22	31938	29599	2339	31938	29599	2339
12	झारखंड	224	125	99	1435	1004	431	38432	37577	855	35881	34999	882
13	कर्नाटक	204	103	101	2503	1713	790	65911	64610	1301	62580	59819	2761
14	केरल	258	250	8	1328	1327	1	33318	33115	203	33189	32986	203
15	मध्य प्रदेश	453	453	0	3379	3379	0	97135	96028	1107	84465	83183	1282
16	महाराष्ट्र	553	248	305	3899	3025	874	110486	94455	16031	97475	90197	7278
17	मणिपुर	43	41	2	398	362	36	11510	10274	1236	9958	9497	461
18	मेघालय	41	41	0	185	185	0	5896	5896	0	4630	4630	0
19	मिजोरम	27	27	0	90	86	4	2244	2244	0	2244	2157	87
20	नागालैंड	60	60	0	159	159	0	3980	3980	0	3980	3980	0
21	ओडिशा	338	317	21	2550	2550	0	74154	71424	2730	63738	61623	2115
22	पंजाब	155	143	12	1043	920	123	27314	26824	490	26074	25093	981
23	राजस्थान	304	108	196	2232	1418	814	62010	59451	2559	55806	53243	2563
24	सिक्किम	13	13	0	52	52	0	1308	1308	0	1308	1308	0
25	तमिलनाडु	434	351	83	1980	1109	871	54439	49109	5330	49499	43954	5545
26	त्रिपुरा	56	37	19	406	234	172	10145	9911	234	10145	9911	234
27	उत्तर प्रदेश	897	453	444	6718	3832	2886	190145	173518	16627	167855	149409	18446
28	उत्तराखंड	105	86	19	598	492	106	20067	19347	720	14947	14186	761
29	पश्चिम बंगाल	576	277	299	4779	1577	3202	119481	107603	11878	119481	101196	18285
30	अंडमान और निकोबार	5	5	0	28	25	3	720	719	1	689	689	0
31	चंडीगढ़ **	3	3	0	18	18	0	450	450	0	450	450	0
32	दिल्ली *	95	51	44	432	387	45	10897	9451	1446	10897	10728	169
33	दादरा और नागर हवेली	2	1	1	9	7	2	302	302	0	247	233	14
34	दमन और दीव	2	1	1	4	2	2	107	102	5	107	102	5
35	लक्षद्वीप	9	0	9	4	0	4	107	107	0	96	96	0
36	पुदुचेरी	5	4	1	34	5	29	855	855	0	855	855	0
	कुल	**7075**	**4944**	**2131**	**51312**	**37124**	**14188**	**1399697**	**1302617**	**97080**	**1282847**	**1184954**	**97893**

i) सीडीपीओ पदों की संस्वीकृत संख्या (प्रति प्रोजेक्ट मानदंड 1 सीडीपीओ के अनुसार)

ii) पर्यवेक्षक पदों की संस्वीकृत संख्या (25 प्रमुख आंगनवाड़ी केन्द्रों केलिए मानदंड 1 के अनुसार)

iii) संस्वीकृत पदों के स्थान पर प्रदर्शित रिक्त एडब्ल्यूडब्ल्यू एवं एडब्ल्यूएच की रिक्तियां